



भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, चेन्नई

(एक आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित संगठन)

(औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग)

"उद्योग, बंदरगाहों और निर्माण स्थलों में उठाने वाले उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए वैधानिक आवश्यकताओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। (20 – 22 मई 2026)

संस्थान के बारे में:

क्षेत्रीय श्रम संस्थान (आरएलआई), चेन्नई, डीजीएफएएसएलआई का एक अधीनस्थ कार्यालय, दक्षिणी क्षेत्र के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आरएलआई चेन्नई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और ओएसएच (व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य) पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

पाठ्यक्रम के बारे में:

आज के उच्च जोखिम वाले औद्योगिक, बंदरगाह और निर्माण वातावरण में, उठाने वाले उपकरणों का सुरक्षित उपयोग केवल एक सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है - यह एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सावधानीपूर्वक पेशेवरों को वैधानिक आवश्यकताओं, सुरक्षा नियमों और उठाने के संचालन को नियंत्रित करने वाले व्यावहारिक नियंत्रण उपायों में एक मजबूत नींव से लैस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दुर्घटनाओं को रोकने और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अनुपालन, जोखिम प्रबंधन, निरीक्षण प्रक्रियाओं और सुरक्षित परिचालन प्रथाओं

पर केंद्रित है। प्रतिभागियों को नियामक आवश्यकताओं, निरीक्षण प्रोटोकॉल और उठाने के संचालन में शामिल हितधारकों की जिम्मेदारियों में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी।

वस्तुनिष्ठ:

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है:

- ❖ उपकरण उठाने से संबंधित लागू वैधानिक आवश्यकताओं और कानूनी प्रावधानों को समझें
- ❖ उठाने के संचालन से जुड़े खतरों की पहचान करें और नियंत्रण उपायों को लागू करें
- ❖ सुरक्षा मानकों और नियामक प्राधिकरणों का अनुपालन सुनिश्चित करें
- ❖ निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं की व्याख्या करें
- ❖ नियोक्ताओं, ऑपरेटरों और निरीक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझें
- ❖ क्रेन, होइस्ट, लिफ्टिंग टैकल और सहायक उपकरण के उपयोग में सुरक्षित अभ्यास लागू करें
- ❖ दुर्घटनाओं, उपकरण विफलता और कानूनी गैर-अनुपालन के जोखिम को कम करें

पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यस्थल परिदृश्यों में प्रभावी शिक्षण और व्यावहारिक अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्रों, केस स्टडीज और इंटरैक्टिव चर्चाओं के माध्यम से दिया जाएगा।

- ❖ कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति।
- ❖ उपकरण उठाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं की व्यापक समझ
- ❖ उद्योग, बंदरगाहों और निर्माण में लागू कानूनी प्रावधानों का कवरेज
- ❖ उठाने के संचालन में खतरों की पहचान और नियंत्रण

- ❖ अनुपालन के लिए निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाएं
- ❖ सुरक्षित लोड सीमाएं, रखरखाव प्रथाएं और दस्तावेज़ीकरण प्रणालियाँ
- ❖ एर्गोनॉमिक्स, शोर और कंपन जैसे औद्योगिक स्वच्छता पहलुओं का एकीकरण
- ❖ परमिट और विधि कथन सहित उठाने के संचालन की प्रभावी योजना
- ❖ वास्तविक जीवन की घटनाओं का विश्लेषण और निवारक उपायों का कार्यान्वयन
- ❖ आपातकालीन तैयारी और एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति का विकास
- ❖ हीट वेव की तैयारी और शमन के उपाय

पक्षपात:

यह कार्यक्रम प्रबंधन प्रतिनिधियों, सुरक्षा पेशेवरों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों, उठाने वाले उपकरण ऑपरेटरों, पर्यवेक्षक और सिग्नलर्स, ठेकेदारों और साइट प्रबंधकों, रखरखाव और निरीक्षण कर्मियों, बंदरगाह, डॉक के लिए खुला है और रसद कर्मियों, औद्योगिक स्वच्छता पेशेवरों और व्यावसायिक स्वास्थ्य चिकित्सकों। सुरक्षा से संबंधित विषयों में संकाय सदस्य और प्रशिक्षक भी भाग ले सकते हैं।

दिनांक और समय:

तीन दिन, 20 से 22 मई 2026 को 1000 बजे से 1700 बजे तक।

कार्यक्रम-स्थल:

वेबिनार हॉल ऑफ रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, चेन्नई अड्यार, टीआई, तारामणि पोस्ट, तमिलनाडु -600113

1. **संस्थान शुल्क:** भारत कोष पोर्टल के माध्यम से प्रति प्रतिभागी 5000 रुपये (पांच हजार रुपये मात्र) देय है। आरएलआई, चेन्नई से नामांकन की पुष्टि प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। कृपया

ध्यान दें, संस्था शुल्क जलपान या कामकाजी दोपहर के भोजन को कवर नहीं करता है।

2. भुगतान प्रक्रियाएं:

त्वरित भुगतान का चयन करने <https://bharatkosh.gov.in> लिए लॉगिन करें

मंत्रालय: 021- श्रम और रोजगार उद्देश्य: सेवा और सेवा शुल्क

वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ): 030461 - पीएओ, डीजीई एंड टी II, चेन्नई

डीडीओ कोड: 230475 (क्षेत्रीय श्रम संस्थान) टिप्पणी: "दुर्घटना जांच, मूल कारण विश्लेषण और सीखने की प्रणाली" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आवास:

संस्थान के छात्रावास में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दोहरे साझाकरण के आधार पर सीमित संख्या में गैर-पारिवारिक छात्रावास आवास उपलब्ध है। आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।

प्रशिक्षण प्रमुख:

श्री। दादी सुनील, उप निदेशक (सुरक्षा)

नामांकन:

नामांकन 18 मई, 2026 को या उससे पहले अपर सहायक निदेशक (एस), औद्योगिक सुरक्षा प्रभाग को भेजा जा सकता है।

प्रशिक्षण समन्वयक:

श्री। गोपीनाथ बी, अपर सहायक निदेशक (एस)।

कार्यक्रम में प्रवेश केवल इस संस्थान / घोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक से पृष्टि के अधीन है।

सम्पर्क करने का विवरण:

फोन: 9966954795, 8098856432,

वेबसाइट www.dgfasli.nic.in

ई-मेल: dadi.sunil@dgfasli.nic.in

b.gopi@dgfasli.nic.in, r.lichennai@dgfasli.nic.in

नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म

"उद्योग, बंदरगाहों और निर्माण स्थलों में उठाने वाले उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए वैधानिक आवश्यकताओं" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (20 - 22 मई 2026)

at

रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट अड्यार, चेन्नई-600113

प्रतिभागी का विवरण

नाम (ब्लॉक अक्षर):

पदनाम :

संचार के लिए पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नं. :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नं. मोबाइल नंबर :

ई-मेल :

फैक्स नं.

:

आवास : आवश्यक/आवश्यक नहीं

भुगतान विवरण: भारतकोष रसीद संख्या-

दिनांक:

के अंतर्गत आता है : (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/एनईआर*)

*=पूर्वोत्तर क्षेत्र

दस्तखत देखिए।

**GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF LABOUR &
EMPLOYMENT
REGIONAL LABOUR INSTITUTE, CHENNAI
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED ORGANIZATION)
(INDUSTRIAL SAFETY DIVISION)**

**Training Programme on “Statutory
requirements for safe use of lifting equipment
in industry, ports, and construction sites.”
(20th – 22nd May 2026)**

ABOUT THE INSTITUTE:

The Regional Labour Institute (RLI), Chennai, a subordinate office of DGFASLI, provides technical assistance and services in the areas of Occupational Health, Safety, and Environment for the Southern Region. Additionally, RLI Chennai organizes training programs and conducts courses on OSH (Occupational Safety and Health).

ABOUT THE COURSE:

In today’s high-risk industrial, port, and construction environments, the safe use of lifting equipment is not just a best practice—it is a legal and moral responsibility. This training programme is carefully designed to equip professionals with a strong foundation in statutory requirements, safety regulations, and practical control measures governing lifting operations.

This training programme focuses on legal compliance, risk management, inspection procedures, and safe operational practices to prevent accidents and ensure workplace safety. Participants will gain practical insights into regulatory requirements, inspection protocols, and responsibilities of stakeholders involved in lifting operations.

OBJECTIVE:

The training programme aims to:

- ❖ Understand applicable statutory requirements and legal provisions related to lifting equipment
- ❖ Identify hazards associated with lifting operations and implement control measures
- ❖ Ensure compliance with safety standards and regulatory authorities
- ❖ Interpret inspection, testing, and certification requirements

- ❖ Understand roles and responsibilities of employers, operators, and inspectors
- ❖ Apply safe practices in the use of cranes, hoists, lifting tackles, and accessories
- ❖ Reduce risks of accidents, equipment failure, and legal non-compliance

COURSE HIGHLIGHTS:

This training programme will be delivered through expert-led sessions, case studies, and interactive discussions to ensure effective learning and practical application in workplace scenarios.

- ❖ National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace.
- ❖ Comprehensive understanding of statutory requirements for lifting equipment
- ❖ Coverage of applicable legal provisions across industry, ports, and construction
- ❖ Identification and control of hazards in lifting operations
- ❖ Inspection, testing, and certification procedures for compliance
- ❖ Safe load limits, maintenance practices, and documentation systems
- ❖ Integration of industrial hygiene aspects such as ergonomics, noise, and vibration
- ❖ Effective planning of lifting operations including permits and method statements
- ❖ Analysis of real-life incidents and implementation of preventive measures
- ❖ Emergency preparedness and development of a strong safety culture
- ❖ Heat Wave Preparedness and Mitigation Measures

PARTICIPATION:

This programme is open to management representatives, safety professionals, engineers, supervisors, lifting equipment operators, supervisor and signallers, Contractors and site managers, Maintenance and inspection personnel, Port, Dock and logistics personnel, Industrial Hygiene Professionals and Occupational Health Practitioners. Faculty members and trainers in safety-related disciplines may also participate.

DATE AND TIMINGS:

Three days, 20th to 22nd May 2026 from 1000 Hrs to 1700 Hrs.

VENUE:

**Webinar Hall of Regional Labour Institute, Chennai
Adyar, TTTI, Taramani Post, Tamil Nadu-600113**

1) Institute Fees: Rs.5000/- (Rupees Five Thousand only) per participant is payable through the bharat kosh portal. Payment can be made online by following steps, **after receiving confirmation of nomination from the RLI, Chennai.** Please note, the institution fee does not cover refreshments or working lunch.

2) Payment procedures:

Login to <https://bharatkosh.gov.in> Select Quick Payment Ministry: 021- Labour & Employment Purpose: Services and services fees
Pay & Account Office (PAO): 030461 – PAO, DGE&T II, Chennai
DDO Code: 230475 (Regional Labour Institute)
Remarks: Training Program on “Accident Investigation, Root Cause Analysis & Learning Systems”

ACCOMMODATION:

Limited number of non-family hostel accommodation is available on twin sharing basis in the Hostel of the institute at central government prescribed rate. Allotment will be made on “first come first serve” basis.

PROGRAMME HEAD:

Shri. Dadi Sunil, Dy. Director (Safety).

NOMINATION:

Nomination may be sent to **The Addl. Assistant Director (S), Industrial Safety Division, on or before 18th May, 2026.**

PROGRAMME CO-ORDINATOR:

Shri. Gopinath.B, Addl. Asst. Director(S).

[Admission to the programme is subject to confirmation from this Institute/ Course Co-Ordinator of stated training programme only.](#)

Contact Details:

Phone: 8098856432, 9966954795.

Website www.dgfasli.nic.in

E-mail: dadi.sunil@dgfasli.nic.in

b.gopi@dgfasli.nic.in, rlichennai@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

“Training Program on “Statutory requirements for Safe use of Lifting equipment in Industry, Ports, and Construction sites” (20th – 22nd May 2026)

at

REGIONAL LABOUR INSTITUTE ADYAR, CHENNAI-600113

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS : **Bharatkosh receipt number-**

Dated:

BELONGS TO : (GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE
